सर्वोच्च प्राथमिकता/ विशेष वाहक / फैक्स के माध्यम से

पत्र सं0-स्था-5(ख)/ तदर्थ नियुक्ति-(1985 से 1995)/ 4423 /वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 19 दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि वाणिज्य कर विभाग में वर्ष 1976 से वर्ष 1993 के मध्य नियुक्त 29 लिपिक वर्गीय कार्मिकों को मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2010 में उन्हें उनकी विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि/तदर्थ नियुक्ति की तिथि से विनियमित किया गया है। इन 29 कार्मिकों में से 02 कार्मिकों को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है तथा 15 कार्मिक दिनांक-01-07-2018 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके है। शासन के समक्ष यह भी संज्ञान में लाया गया है कि उक्त 29 कार्मिकों के अतिरिक्त जोनल स्तर के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी पूर्वगामी तिथि से विनियमितीकरण के आदेश निर्गत किये गये होंगे।

शासन ने अपने पत्र सं0-2048/11-3-2018 दिनांक 04-11-2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देश दिये है कि विनियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979, द्वितीय संशोधन नियमावली 1989 तथा तृतीय संशोधन नियमावली 2001 निर्गत की गयी है जिसमें नियमावली के प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की तदर्थ सेवा निरन्तर पूर्ण होने की स्थिति में विनियमितीकरण का प्राविधान किया गया है। उक्त नियमावलियों में पूर्वगामी तिथि से अथवा मृत्यु के पश्चात विनियमितीकरण किये जाने का कोई प्राविधान नही है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियमावली के प्राविधानों के विपरीत किये गये विनियमितीकरण के सम्बन्ध में पूर्वगामी तिथि से दिये गये विनियमितीकरण के आदेश को निरस्त किये जाने एवं तदोपरान्त सभी के सम्बन्ध में सेवा लाभ सम्बन्धी यथेष्ठ कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

चयन वर्ष 2018-19 की वाणिज्य कर अधिकारी की प्रोन्नति कोटे की लिपिक संवर्ग में अनारक्षित श्रेणी की 87 तथा दिव्यांगजन श्रेणी की 08 रिक्तियों हेतु लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी 131 व 03 कार्मिकों की पात्रता सूचियों में सम्बन्धित कार्मिकों के नाम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2012 में दिये गये प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-3473 दिनांक 09-11-2015 के माध्यम से निर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची में उनकी ज्येष्ठता क्रमानुसार रखे गये हैं।

अतः लोक सेवा आयोग को प्रेषित उपरोक्त 134 कार्मिकों की सूची इस पत्र के संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सूची में अंकित प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि का सत्यापन कृपया उसके सेवा अभिलेखों (सेवा पुस्तिका / व्यक्तिगत पत्रावली) से सक्षम अधिकारी के माध्यम से कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में आज ही दिनांक 19-12-2018 को सायं 06 बजे तक विशेष वाहक / फैक्स के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें कि संलग्न सूची में अंकित कार्मिक की मौलिक नियुक्ति की तिथि उसके सेवा अभिलेखो में प्रविष्ट मौलिक नियुक्ति की तिथि से भिन्न नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक के सेवा अभिलेखों में संलग्न सूची में अंकित की गयी मौलिक नियुक्ति की तिथि से भिन्न नियुक्ति की तिथि प्रमाणित हो रही है अथवा किसी कार्मिक को पूर्व में की गयी तदर्थ/स्थानापन्न नियुक्ति को विनियमित किया गया है तो सम्बन्धित आदेशों की प्रमाणित छायाप्रतियॉं भी विशेष वाहक / फैक्स के माध्यम से आज ही दिनांक 19-12-2018 को सायं 06 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सर्वोच्च प्राथमिकता/व्यक्तिगत रुचि लेकर पूर्ण कराये जाने का कष्ट करें ताकि शासन के पत्र दिनांक 04-11-2018 में दिये गये निर्देशानुसार ज्येष्ठता निर्धारण/पदोन्नति की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायी जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार 134 कार्मिकों की सूची।

/-
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0 सं0 व दिनांक :-उक्त।

प्रतिलिपिः-

1-ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

2-समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशा0)/असिस्टेंट कमिश्नर(ए)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उनके अधिष्ठान में कार्यरत संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए अपने जोनल एडीशनल कमिश्नर को तत्काल सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार 134 कार्मिकों की सूची।

19/12/18

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4